न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 127/2012

बृजलाल पुत्र केसराराम जाति सुथार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। —— **अपीलार्थी**

बनाम

1. जसराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगागनर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। ——**रेस्पोंडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 29.08.2007 व 15.09.2007

उपस्थितिः–

श्री राकेश कुमार मनचन्दा , अभिभाषक अपीलांट

श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक , राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 09.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष बालिग पुत्रों के तहत चक 5 ए.पी. के मु.नं. 33/15, 33/47 की 5.226है0 भूमि के आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 29.08.2007 को आवंटन नियम 1975 के नियम 13(5)बी में आवंटन का पात्र घोषित करते हुए पत्रावली दिनांक 15.09.2007 को पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश होने पर उक्त विवादित भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 13 (5) बी के तहत आवंटित की गई। अपीलांट ने उक्त भूमि में से प. नं. 13/55 की 2.681है0 भूमि के सम्बन्ध में चुनौती दी है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने आदेश दिनांक 29.01.1979 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश की थी जो दिनांक 28.06.1993 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपीलांट के पिता केसरा की मृत्यु दिनांक 15.06.1996 को हो गई। इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं है। विवादित भूमि पर कभी भी रेस्पों. सं. 1 का कब्जा नहीं रहा है। रेस्पों. के पिता की भूमि अधिशेष होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पों. को बतौर बालिग पुत्र आवंटन नहीं किया जा सकता था। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि मौके पर रेस्पों. का कब्जा है। अपीलांट का अपील में कोई हक नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पत्रावली पेश होने पर रेस्पों. को आवंटन का पात्र मानते हुए ही आवंटन किया है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। दफा 5 मियाद के प्रा.पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर किया है। अतः अपील गुणावगुण के आधार पर एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 29.08.2007 व 15.09.2007 के विरूद्ध दिनांक 07.09.2012 को पेश की है जिसके लिए अपीलांट ने धारा 5 मियाद का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उसका जबाब रेस्पों. ने पेश किया है। किन्तु न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 29.08.2007 व 15.09.2007 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पों. को आवंटित विवादित भूमि के आवंटन को चुनौती दी गई है। अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया " जिसमें आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार प्रार्थी जसराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन हरदासवाली को वाके चक 5 ए.पी. के प.नं. 33/55 के कि.नं. 1 से 3, 8 से 13, 24, 25 की 2.681है0 एवं प.नं. 13/47 के कि.नं. 2 से 9, 13 से 15 की 2.555है0 की कुल 5.236है0 भूमि क0/अ0क0 भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 13(5)बी में निर्धारित दर पर पुख्ता आवंटन की जाती है।"

विवादित आराजी रेस्पों. के कब्जे की भूमि होने के आधार पर उसे आवंटित की गई है। अतः अपीलांट का कथन कि विवादित आराजी का कब्जा उसके पास है मानने योग्य नहीं है।

अपीलांट केसराराम का वारिस होकर रेस्पों. को आवंटित भूमि निरस्त कराने का अनुतोष अपील में मांग रहा है जबकि उसकी proper Locus- standai केसरराम के खारिज आदेश को बहाल करने हेतु अपील पेश किये जाने पर अपीलांट के हक हकूकों का प्रश्न पैदा होता है जो अपीलांट द्वारा नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर